



June 6, 2026

To,

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Block G, C/1, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Email: cmlist@nse.co.in Symbol: VBL	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001 Email: corp.relations@bseindia.com Security Code: 540180
---	--

Subject: Newspaper Advertisement pertaining to notice for transfer of Unclaimed Dividend & corresponding Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund

Dear Sir/Madam

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copies of the newspaper advertisement pertaining to notice for transfer of Unclaimed Dividend & corresponding Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund published in "Business Standard" in English and Hindi language on June 6, 2026 are enclosed herewith.

The same is also available on website of the Company at www.varunbeverages.com.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,
For Varun Beverages Limited

Ravi Batra
Chief Risk Officer & Group Company Secretary

Encl.: As above

VARUN BEVERAGES LIMITED

Corporate Office: Plot No. 31, Institutional Area, Sec.-44, Gurugram, Haryana-122002 (India) | **Ph:** +91 124 4643100-500 | **W:** www.varunbeverages.com

CIN: L74899DL1995PLC069839 | **Registered Office:** F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110 020 | **E:** info@rjcorp.in | **Ph:** 011 41706720-25

SBI भारतीय स्टेट बैंक **ई-नीलामी बिक्री सूचना**

एसबीआई होम लोन सेंटर रोडिणी (एनएमपी) ए-5, पल्स वेस्ट हाइट्स-1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

चल सम्पत्ति के लिए 19.06.2026 को ई-नीलामी बिक्री हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रत्यक्ष) नियामकाली 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत के साथ पंढित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी की विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास दृष्टिबन्धकृत/आभारित निम्न विवरणित चल सम्पत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, को **19.06.2026 को "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "वहाँ जो कुछ भी है"** आधार पर बेचा जाएगा, जो कि निम्नानुसार प्रतिभूत ऋणदाता को देय-भुगतान के की वसूली हेतु किया जायेगा:-

इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी के बंद होने से पूर्व **BAANKNET** के पास पूर्व-बोली धरणा जमा कर सकते हैं। पूर्व-बोली धरणा के उपरान्त बोलीदाता को **BAANKNET** के बैंक खाता में भुगतान की प्रतिभूत तथा ई-नीलामी वेबसाइटों पर सभी जानकारी को अपडेट करके उपरान्त ही दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लाग सकता है तथा अनि: बोलीदाताओं को अपने स्वयं के हित में सलाह है कि वे किसी भी अनिश्चय के सम्मत्या से बचना हेतु अग्रिम रूप में पूर्व-बोली धरणा राशि जमा करें।

क्र. सं.	उपकरण/ऑ/ गारंटर(रों) के नाम	रकबा/वैशेषीय, विनकी वसूली हेतु सम्पत्तियां वेतु नी जै हैई	वाहन का विवरण	आश्रित मूल्य (₹.) (जिसमें बच ए सम्पत्ति नहीं वेशी जा सकती) धरोर राशि (इएमपी) आश्रित मूल्य का 10 प्रतिशत बोली बुद्धि राशि	प्रधिकृत अधिकारी का नाम
1.	श्री अनिल कुमार बंसल, पुत्र श्री सुभाष बंसल कार ऋण खाता सं. 40681702449 निवासी धरणा नं.42/3, प्लॉट नं.10 गली नं.4/ए, संयुक्त कालोनी, नरना, दिल्ली-40	₹.62,12,632.53 11.09.2025 के अनुसार साथ ही भावी ब्याज एवं उस पर अन्य खर्च	सेक एंड मॉडल: MAHINDRA XUV300W6 DS BSG MT पुंजीकरण संख्या: DL8CB9760 इंजन नंबर: EUMJL80353 वॉलिस नंबर: MA11M2EJ17M66625 घाली हुई दूरी: 71550 किमी	₹ 4,64,000.00 ₹ 46,400.00 ₹ 5,000.00	श्री राहुल शर्मा (मुख्य प्रबंधक) एचएलसी रोडिणी, ए-5, पल्स वेस्ट हाइट्स-1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 फोन:011-43988822

ब्याज जमा करने की अंतिम तिथि 19.06.2026 को सांठ 04:00 बजे तक बचका इस्तेा पूर्व है। ब्याज/अधिकारी के सर्वोत्तम हान एवं सूचना के अनुसार बंधों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ऋणभारों, नीलामी के लिए रखी गई सामग्री/सम्पत्तियों के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/वेबदाओं के सम्बन्ध में अपनी स्वतंत्र पड़नाइ कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विधान, बैंक की किसी भी प्रतिबन्धना या अतिबंधन को संस्पतिगत नहीं करता और न ही संस्पतिगत करता हुआ माना जायेगा। सम्पत्ति को, बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी विधायन और भविष्य के ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/वेबदाओं के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा। सफल बोली लगाने वाले की बयाना राशि (इएमपी) को आंशिक बिक्री प्रक्रिक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की इएमपी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति पर तुरन्त बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष, बिक्री के 15वें दिन या उसके पश्चात जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक होने पर पहले से जमा की गई पूरी धरणाशि जन् कर लेनी जाएगी और सम्पत्ति को ई-नीलामी के लिए रखा जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का संपत्ति/राशि के सम्बन्ध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

(7) बिक्रय के विन्तुन नियमों और शर्तों के लिए कृप्या बैंक से सेवा प्रदाता के वेब पोर्टल: <https://baanknet.com/eauction-psb/eproc-listing> तथा ई-नीलामी वेबसाइट: <https://BAANKNET.com> पर उपलब्ध लिंक देखें।

<p>ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें लिंक पर उपलब्ध है।</p> <p>(1) ई-नीलामी का आयोजन "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "वहाँ जो कुछ भी है" आधार पर की जा रही है और "ऑन लाइन" आयोजित की जाएगी। नीलामी, बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता BAANKNET के माध्यम से उसके वेब पोर्टल: https://baanknet.com/eauction-psb/eproc-listing पर आयोजित की जाएगी।</p> <p>(2) बैंक के पास नीलामी को निरस्त/स्विकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।</p> <p>(3) बंधन 17.06.2026 को सुबह बेंकिंग घंटे के दौरान सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, सम्पर्क करें: श्री अनिल कुमार, मॉडलब: 9205104934, मेसर्स पहचान प्रोफेशनल सर्विसेज प्रा0 लि0, एफएफ-59, अंजल फॉरवून आरकेड, सेक्टर-18, नोएडा-201301 (समाधान प्द)।</p> <p>(4) *सफल बोली लगाने वाले को सफल बोली राशि अंतिम बिक्री मूल्य पर लागू जीएसटी का भुगतान करना होगा।</p> <p>(5) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम हान एवं सूचना के अनुसार बंधों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ऋणभारों, नीलामी के लिए रखी गई सामग्री/सम्पत्तियों के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/वेबदाओं के सम्बन्ध में अपनी स्वतंत्र पड़नाइ कर लेनी चाहिए।</p> <p>(6) ई-नीलामी विधान, बैंक की किसी भी प्रतिबन्धना या अतिबंधन को संस्पतिगत नहीं करता और न ही संस्पतिगत करता हुआ माना जायेगा। सम्पत्ति को, बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी विधायन और भविष्य के ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/वेबदाओं के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।</p> <p>(6) सफल बोली लगाने वाले की बयाना राशि (इएमपी) को आंशिक बिक्री प्रक्रिक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की इएमपी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति पर तुरन्त बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष, बिक्री के 15वें दिन या उसके पश्चात जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक होने पर पहले से जमा की गई पूरी धरणाशि जन् कर लेनी जाएगी और सम्पत्ति को ई-नीलामी के लिए रखा जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का संपत्ति/राशि के सम्बन्ध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।</p> <p>(7) बिक्रय के विन्तुन नियमों और शर्तों के लिए कृप्या बैंक से सेवा प्रदाता के वेब पोर्टल: https://baanknet.com/eauction-psb/eproc-listing तथा ई-नीलामी वेबसाइट: https://BAANKNET.com पर उपलब्ध लिंक देखें।</p>	<p>स्थान: नई दिल्ली तिथि: 05.06.2026</p> <p>प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, पुरपल्ली रोडिणी (एनएमपी), पीतमपुरा, दिल्ली</p>
---	--

वरुण बेवरेजेज़ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: एफ 2/7, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020; दूरभाष +91 11 41706750 कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 31, इन्स्टीट्यूटल एरिया, सेक्टर – 44, गुरुग्राम – 122002 (हरियाणा) दूरभाष: +91 124 4643100 ई-मेल: complianceofficer@jrcorp.in वेबसाइट: www.varunbeverages.com कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L74899DL1995PLC069839

सूचना

विषय: निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") खाते में दावा न किए गए लाभांश और संबंधित इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धन वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों में, अपन बातों के साथ-साथ लाभांश खाता स्थानांतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए दावा न किए गए अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण और संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, को आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित करने का प्रावधान है। उपर्युक्त नियमों के अनुपालन में, सभी पंजीकृत इक्विटी शेयरधारकों, जिनका लाभांश (वित्त वर्ष 2019 के लिए अंतरिम लाभांश) लगातार सात वर्षों से बिना दावे के पड़ा हुआ है और संबंधित इक्विटी शेयर आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य है, को अलग से सूचना भेजी गयी है। ऐसे इक्विटी शेयरधारकों (डीपी आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित करने का प्रावधान है। <https://www.varunbeverages.com/wp-content/uploads/2026/06/iepfshares.pdf> पर उपलब्ध है। उपर्युक्त इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे दावा न किए गए लाभांश राशि का दावा करने के लिए फेब्रुवरी 2026 तक कोलेगीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार टू एन इस्ट्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") को उपर्युक्त सूचना के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज भेजें। यदि 6 सितंबर, 2026 को या उससे पहले वैध दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी बिना किसी और सूचना के उक्त दावा न किए गए लाभांश और संबंधित इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए आए बड़ेगी और ऐसे हस्तांतरण के बाद, इक्विटी शेयरधारक/दावेदार आईईपीएफ प्राधिकरण से संबंधित इक्विटी शेयरों के साथ हस्तांतरित दावा न किए गए लाभांश का दावा कर सकते हैं। इस संबंध में, कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

(i) यदि आप भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखते हैं: बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में या शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। आपके नाम पर पंजीकृत और आपके द्वारा रखे गए मूल शेयर प्रमाणपत्र रखे ही रह जायेंगे।

(ii) यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयर रखते हैं: बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के लिए आपके डैमेट खाते से डेबिट कर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार अन्दाकृत लाभांश राशि और आईईपीएफ को हस्तांतरित तदनुकृपी इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। इस मामले पर किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित इक्विटी शेयरधारक/दावेदार कंपनी को complianceofficer@jrcorp.in या आरटीए यानी फेब्रिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेबियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकानामुड़ा, सेरिंगलामल्लू मंडल, हैदराबाद 500 032, तेलंगाना, टोल फ्री नंबर: 1800-309-4001, ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं।

के लिए और की तरफ से वरुण बेवरेजेज़ लिमिटेड हस्ता./- रवि बजा दिनांक: जून 05, 2026 स्थान: गुरुग्राम

मुख्य जोखिम अधिकारी एवं सूक्ष्म कंपनी अधिकारी

ICIICI Home Finance पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051

कारपोरेट कार्यालय: आईसीसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेभी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400059

शाखा कार्यालय: आईसीसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लि., दूसरी मंजिल, विश्वकॉम कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 17/18, यशोदा हॉस्पिटल के पीछे, कोशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010

जबकि, वित्तीय आरितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पंढित धारा 13(12) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग कर आईसीसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधोस्तित्वाधी प्राधिकृत अधिकारी ने अधोलिखित कर्जदारों को मांग नोटिद जारी किया था जिनमें उनसे उक्त नोटिद प्राप्त की तारीख से 60 दिनों के अंदर नोटिद में उल्लिखित राशि चुकता करने के लिए कहा। जैसा कि कर्जदार राशि का भुगतान करने में असफल रहा, एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोस्तित्वाधी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पंढित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का अधोलिखित तारीख को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्व जन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रत्यभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उत-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर-कर्जदार के नाम ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कब्जे की तारीख	मांग नोटिद की तारीख/ मांग नोटिद में राशि (₹.)	शाखा का नाम
1.	आकाश वर्मा (कर्जदार), अनुराग वर्मा (सह-कर्जदार), सुरेश वर्मा (सह-कर्जदार), प्लॉट नंबर 106 दूसरी मंजिल खसरा नं. 201, खजूर कॉलोनी गली नं. 37 खजूर कॉलोनी गली नंबर 37 गाँव सदरपुर नोएडा सेक्टर 45 नोएडा उत्तर प्रदेश-201310। LHGHZ00001628851	प्लेट नंबर 02, दूसरी मंजिल (उत के अधिकार के साथ) प्लॉट नंबर 106, खसरा नंबर 201, गली नंबर 37, गाँव सदरपुर, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201303, सुपर एरिया माप 100.00 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ- उत्तर में- 15 फीट चौड़ी गली, दक्षिण में- 10 फीट चौड़ी गली, पूर्व में- अन्य प्लॉट, पश्चिम में- 18 फीट चौड़ी सड़क/ कब्जे की तारीख- 2 जून, 2026	24-10-2025 रु. 40,72,767/-	गाजियाबाद (कोशाम्बी)
2.	आकाश वर्मा (कर्जदार), अनुराग वर्मा (सह-कर्जदार), सुरेश वर्मा (सह-कर्जदार), प्लॉट नंबर 106 दूसरी मंजिल खसरा नं. 201, खजूर कॉलोनी गली नं. 37 खजूर कॉलोनी गली नंबर 37 गाँव सदरपुर नोएडा सेक्टर 45 नोएडा उत्तर प्रदेश-201310। LHGHZ00001628853	प्लेट नंबर 02, दूसरी मंजिल (उत के अधिकार के साथ) प्लॉट नंबर 106, खसरा नंबर 201, गली नंबर 37, गाँव सदरपुर, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201303, सुपर एरिया माप 100.00 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ- उत्तर में- 15 फीट चौड़ी गली, दक्षिण में- 10 फीट चौड़ी गली, पूर्व में- अन्य प्लॉट, पश्चिम में- 18 फीट चौड़ी सड़क/ कब्जे की तारीख- 2 जून, 2026	24-10-2025 रु. 1,24,873/-	गाजियाबाद (कोशाम्बी)

उपरोक्त कर्जदार(ओं)/गारंटर(ओं) को एतद्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए 30 दिनी नोटिद दिया जाता है, अन्यथा क्बक संपत्तियाँ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार इस नोटिद प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बिक्री की जायेंगी।

दिनांक: 06 जून, 2026 स्थान: नोएडा प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : ऑफिस नंबर 501 ए/ 503, पौधावंत ल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई उपनगर, जिला महाराष्ट्र-400072

फरीदाबाद शाखा: प्लॉट नंबर A-59 ए/ 60, द्वितीय तल, लाइट बाट रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद, तहसील बड़खत, जिला फरीदाबाद-121001, हरियाणा

गुरुग्राम शाखा: समिति संख्या 501/2 (नई एमपी संख्या 48/5), दूसरी मंजिल, महरीली रोड, सेक्टर-14, ऑटो नीड शोरूम के पास, गुरुग्राम - 122002, हरियाणा

नेताजी सुभाष प्लेस शाखा: कार्यालय संख्या 307, प्लॉट-18, विकास सूर्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मंगलम प्लेस, सेक्टर-3 रोडिणी, एम2के सिनेमा के पास, जिला-उत्तर-पश्चिम, नई दिल्ली- 110085 (उत्तर प्रदेश)

रेवारी शाखा: पहली मंजिल, बूथ नंबर 5 और 6, महाराणा प्रताप चौक, रेवाडी, एस्कीआई बैंक के पास, रेवाडी 123401 (हरियाणा)

पालम शाखा: पहली मंजिल, खसरा नंबर 73, संपत्ति नंबर आरजेड-डी-8/1, गांव नसीरपुर, पालम-डाबरी मार्ग, महावीर एक्लेज, नई दिल्ली- 110045 (उत्तर प्रदेश)

मांग सूचना

सिक्यूरिटीआईजेन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंसियल एसेटेस एंड इंफोसॉमेट ऑफ सिक्यूरिटी इंस्ट्रुट एक्ट 2002 के साथ सपढित सिक्यूरिटी इंस्ट्रुट (इंफोसॉमेट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

सिक्यूरिटीआईजेन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंसियल एसेटेस एंड इंफोसॉमेट ऑफ सिक्यूरिटी इंस्ट्रुट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता **आधार हाउसिंग फायनेंस कापोरेशन लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी हैं। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपढित सिक्यूरिटी इंस्ट्रुट (इंफोसॉमेट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं)) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्णभुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुन: उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुन: सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं / या पुनर्प्राप्ति तक लागू मा्य ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजों/ लिखित में यदि कोई हो, के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें। जैसा कि ऋण के पुर्नभुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

क्र.	उपकरण/ऑ एवं सह-उपकरण/ जमानतदार के नाम	मांग पर की दिनांक एवं मांग राशि	प्रतिभूति हित आरितियों का विवरण (अवल संपत्ति/या)
1	(लोन कोडनं. 16000000461/ गुरुग्राम शाखा) सतीश कुमार (ऋणी) बबीता (सह-ऋणी) सदापाल रोडिल्ला (जमानतदार)	22-05-2026 & ₹ 14,99,694/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग मकान नं. 4, क्षेत्रफल 35 वर्ग गज, खसरा नं 843 का भाग, आबादी जोहरपुरी एफ्लेवर्, गली नं. 03, हदबस्त ग्राम बहेटा हाजीपुर लोनी परगना एवं तहसील गाजीयाबाद, जिला गाजीयाबाद चर्तुसीमार्ग:- पूर्व -अन्य का प्लॉट, पश्चिम - अन्य का प्लॉट, उत्तर - 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण - 20 फीट चौड़ी सड़क
2	(लोन कोडनं. 09710000150/ फरीदाबाद शाखा) सोहेल अहमद खान (ऋणी) मरीयम (सह-ऋणी)	22-05-2026 & ₹ 24,06,254/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग चौथी मंजिल (सामने वाला हिस्सा) और उमर की साझा छत, क्षेत्रफल 90 वर्ग गज, प्लॉट नं. 2026-2056, गली नं. 28, क्षेत्रफल 180 वर्ग गज (कुल 360 वर्ग गज में से), खसरा नं. 427 स्थित तुलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110019 चर्तुसीमार्ग:- पूर्व - आरजेड-2056-ए, पश्चिम - आरजेड-2086-ए, उत्तर - सड़क, दक्षिण - सर्विस लेन
3	(लोन कोडनं. 30610000099/ रेवारी शाखा) संजीव कुमार (ऋणी) संधीका (कानूनी उत्तराधिकारी) द्वारा प्रतिनिधित्व (सह-ऋणी)	22-05-2026 & ₹ 19,83,911/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग बैंक कॉलोनी में स्थित खसरा नं. 545 पर बनी हुई संपत्ति, क्षेत्रफल लगभग 270 वर्ग गज (पूर्वी तरफ) (कुल लगभग 540 वर्ग गज भूमि में से) गाँव देवली, नई दिल्ली के 'लाल डोर' के विस्तारित स्थ. आराधना (कानूनी उत्तराधिकारी) द्वारा प्रतिनिधित्व (सह-ऋणी)
4	(लोन कोडनं. 34810000592/ नेताजी सुभाष प्लेस शाखा) नितेश सहवाने (ऋणी) अंजू सहवाने (सह-ऋणी)	22-05-2026 & ₹ 31,04,744/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग निर्मित संपत्ति नं. आरजेड-2/8, गली नं. 03, भूमी क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (अपार्ट 83.61 वर्ग मीटर), खसरा नं. 30/4/3 का हिस्सा, राजवस क्षेत्र ग्राम डबरी, दिल्ली राज्य, दिल्ली कॉलोनी, जिसे 'डबरी एक्सटेंशन' के नाम से ज्ञात, वैशाली कॉलोनी रोड, नई दिल्ली 110045, चर्तुसीमार्ग:- पूर्व - संपत्ति नं. 3/7, पश्चिम - संपत्ति नं. 2/9, उत्तर - अन्य की संपत्ति, दक्षिण - 15 फीट चौड़ी सड़क
5	(लोन कोडनं. 56210000171/ पालम शाखा) संदीप कुमार राय (ऋणी) सुमन देवी (सह-ऋणी)	22-05-2026 & ₹ 19,79,687/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग निर्मित संपत्ति नं. बी-300, गली नंबर 28, क्षेत्रफल 25 वर्ग गज (खसरा नं. 115/11 का भाग) राजवस क्षेत्र ग्राम पालम, दिल्ली राज्य कॉलोनी को 'महावीर एक्लेवर्, ब्लॉक-बी, नई दिल्ली' के नाम से ज्ञाता चर्तुसीमार्ग: पूर्व - धारा सिंह का मकान, पश्चिम - प्रकाश का मकान, उत्तर - अन्य की संपत्ति, दक्षिण - 5 फीट चौड़ी सड़क

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13 (4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय, किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत्त जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड दिये जाने के योग्य होगा।

स्थान : दिल्ली दिनांक : 06-06-2026

साही/— प्राधिकृत अधिकारी

वारते— आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा सूचना (अवल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हार्डवेर फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोस्तित्वाधी ने सिक्वीटीआईजेन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनॉशियल असेटेस एंड इंफोसॉमेट ऑफ सिक्वीटीटी इंस्ट्रुट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(2) के साथ सिक्वीटीटी इंस्ट्रुट (एफसॉमेट) रूल्स, 2002 के साथ पहले हुए प्राण अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **वसुलता खानुन (सह-उपकरणकर्ता, पत्नी और साथ ही स्वर्गीय फजलु रहमान उर्फ फजलु रहमान की कानूनी वारिस), शिदावा खान (पुत्री और साथ ही स्वर्गीय फजलु रहमान उर्फ फजलु रहमान की कानूनी वारिस, अपने प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से), इल्ना (पुत्री और साथ ही स्वर्गीय फजलु रहमान उर्फ फजलु रहमान की कानूनी वारिस, अपने प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से) और सलमान खान (गारंटर) को 25.11.2025 की सूचना में वार्षिक नौसारा कर्ज खाता नं. HLNLD00460744 की राशि रु. 40,24,892.04 (रूपये चालीस लाख चौबीस हजार आठ सौ बाने और चार पैसे मात्र) और 25.11.2025 के अनुसार और उस पर ब्याज अत्रन सूची की प्राप्ती की तारीख से सप्ठ 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिधान सूचना जारी की थी।**

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोस्तित्वाधी ने उक्त कानून की धारा 13 की उत-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्वीटीटी इंस्ट्रुट (एफसॉमेट) रूल्स, 2002 के तहत प्राण अधिकारों का कार्यान्वयन करके **02.06.2026** को संपत्ति पर **संकेतिक अधिचरण** कर लिया है। विशेषत: कर्जदार और सामान्यत: जमानतदार को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. **40,24,892.04 (रूपये चालीस लाख चौबीस हजार आठ सौ बाने और चार पैसे मात्र)** और 25.11.2025 के अनुसार और उस पर ब्याज अत्रन सूची **कैपिटल लिमिटेड** (पहले इंडियाबुल्स हार्डवेर फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के अधीन होगा।

उपकरणकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उत-धारा (8) के अंतर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की और आमंत्रित किया जाता है।

क्र. सं.	उपकरण/ऑ एवं सह-उपकरण/ जमानतदार के नाम	मांग पर की दिनांक एवं मांग राशि	प्रतिभूति हित आरितियों का विवरण (अवल संपत्ति/या)
1	आवास प्लैट/यूनिट नं.-30114/सी-14, तीसरी मंजिल पर, टावर-एन में, जिसका कुल सुपर एरिया माप 855.00 स्क्वैर फीट, जिसमें संलग्न वे बेडरूम, एक ड्राइंग-कम-डाइनिंग रूम, एक रसोईघर, दो शौचालय और बालकनियाँ शामिल, " जीसी-14/14 एवेज्यू" में, प्लॉट नं. जीएच-03 पर स्थित, सेक्टर-16सी, गेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश) 400701, इसके साथ ही, इमारत के नीचे स्थित जमीन के उस हिस्से में जिसमें इस कॉम्प्लेक्स के कई ब्लॉक शामिल, अविभाजित, अखंड और अविभाजित लीज-होल्ड अधिकार भी शामिल, उक्त प्लैट/आवासीय इकाई के सुपर एरिया के अधिकार अनुप्राप्त में होंगे।	24-10-2025 रु. 1,24,873/-	गाजियाबाद (कोशाम्बी)

दिनांक : 02.06.2026 स्थान : गौतमबुद्ध नगर प्राधिकृत अधिकारी, सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हार्डवेर फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

EICHER
EICHER MOTORS LIMITED

CIN : L34102DL1982PLC129877

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 1111, 11वां तल, अंधेरा एस्टेट, प्लॉट नंबर 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली